J SINGH & ASSOCIATES (Regd.)
CHARTERED ACCOUNTANTS

505/506/507, **HUBTOWN** Viva, Shankar wadi,
Western express Highway,
Between Andheri & Jogeshwari (East),
Mumbai - 400 060.
Tel : 022-66994618 I 66994619 I 28361081
Fax : 91-22-6699 4617 Web : cajsingh.com
Email : ca_jsingh@rediffmail.com
mumbai@cajsingh.com

अंतरिम वित्तीय जानकारी की समीक्षा पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

निदेशक मंडल
राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

परिचय

हमने राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक ("संस्थान") के 30 जून, 2022 की बैलेंस शीट और तीन महीने की अवधि के लिए लाभ और हानि और नकदी प्रवाह के संबंधित विवरण और इसका महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक नोट की समीक्षा की है। राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक जनरल रूल्स, 2022 और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इस अंतरिम वित्तीय जानकारी की तैयारी और निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखा मानक और भारतीय रिजर्व बैंक ('RBI') द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र और दिशानिर्देश शामिल हैं। । हमारी जिम्मेदारी हमारी समीक्षा के आधार पर इस अंतरिम वित्तीय जानकारी पर निष्कर्ष व्यक्त करना है।

समीक्षा का दायरा

हमने स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट (एसआरई) 2410, "इकाई के स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा निष्पादित अंतरिम वित्तीय जानकारी की समीक्षा" के अनुसार अपनी समीक्षा किया है। अंतरिम वित्तीय जानकारी की समीक्षा में मुख्य रूप से वित्तीय और लेखा मामलों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों से पूछताछ करना और विश्लेषणात्मक और अन्य समीक्षा प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है। ऑडिटिंग पर मानकों के अनुसार किए गए ऑडिट की तुलना में एक समीक्षा का दायरा काफी कम है और इसके परिणामस्वरूप हमें यह आश्वासन प्राप्त करने में सक्षम नहीं है कि हम उन सभी महत्वपूर्ण मामलों से अवगत हो जाएंगे जिन्हें ऑडिट में पहचाना जा सकता है। उसके अनुसार, हम लेखा परिक्षण का अभिमत व्यक्त नहीं करते।

निष्कर्ष

हमारी समीक्षा के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि संलग्न अंतरिम वित्तीय जानकारी 30 जून, 2022 तक इकाई के मामलों की स्थिति और इसके परिणामों के बारे में सही और निष्पक्ष जानकारी नहीं देती है। तीन महीने की अवधि के लिए संचालन और उसके

नकदी प्रवाह को राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक जनरल रूल्स, 2022 के नियम 9 और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समाप्त किया गया है।

कृते जे सिंह एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकर
FRN: 110266W

जे सिंह
साझेदार
M.No.042023
UDIN: 22042023AXKHQD4027
स्थान: मुंबई
दिनांक: 28th September, 2022

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

30 जून, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि रु करोड़ में)

	अनुसूचियां	30.06.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)
आस्तियां			
वित्तीय आस्तियां			
1. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास हाथ में नकदी और अतिशेष	I	-	-
2.बैंकों के पास अतिशेष	II	11,081.80	14,991.54
3. व्युत्पन्न वित्तीय साधन	III	-	-
4.ऋण	IV	-	-
5. विनिधान	V	14,077.94	10,005.27
6.अन्य वित्तीय आस्तियां (विनिर्दिष्ट करने के लिए)	VI	222.01	125.43
गैर वित्तीय आस्तियां			
1. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	VII	0.04	0.04
2. सद्भावना		-	-
3. अन्य अमूर्त संपत्ति	VIII	-	-
4. वर्तमान कर आस्तियां		-	-
5. आस्थगित कर आस्तियां		-	-
6.अन्य गैर -वित्तीय आस्तियां (विनिर्दिष्ट करने के लिए)	IX	-	-
कुल आस्तियां		**25,381.79**	**25,122.29**
साधारण शेयर और देनदारियां			
वित्तीय देनदारियां			
1.जमा राशियां	X	-	-
2.उधार	XI	-	-
3. ऋण प्रतिभूतियां	XII	-	-
4. व्युत्पन्न वित्तीय उपस्करों		-	-
5.अन्य वित्तीय देनदारियां (विनिर्दिष्ट करने के लिए)	XIII	22.01	2.07
गैर वित्तीय देनदारियां			
1.वर्तमान कर देनदारियां		-	-
2. आस्थगित कर देनदारियां		-	-
3.अन्य गैर वित्तीय देनदारियां (उपबंध सहित) विनिर्दिष्ट करने के लिए)	XIV	-	-
कुल देनदारियां		22.01	2.07

J SINGH & ASSOCIATES Chartered Accountants FRN No. 110266W MUMBAI 60.

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक मुंबई MUMBAI National Bank for Financing Infrastructure and Development

शेयरधारकों की निधि		-	-
(क) शेयर पूँजी	XV	20,000.00	20,000.00
(ख) भंडार और अधिअतिशेष	XVI	5,359.78	5,120.22
कुल		**25,359.78**	**25,120.22**
कुल साधारण शेयर और देनदारियां		**25,381.79**	**25,122.29**
आकस्मिक देनदारियां	XVII	-	-

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे सिंह एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या- 110266W

जे सिंह
साझेदार
सदस्यता संख्या -042023

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

टी.एन. मनोहरन
(निदेशक)
DIN: 01186248

राज किरण राय जि
(प्रबंध संचालक)
DIN: 07427647

स्थान – मुंबई

दिनांक: सितंबर 30, 2022

ऐश्वर्या म्हात्रे
(कंपनी सचिव)

मृणाल गोस्वामी
(विभाग प्रमुख - ट्रेजरी)

बी. एस. वेंकटेशा
(उप प्रबंध निदेशक - प्रमुख जोखि
अधिकारी)
DIN: 08489577

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची-I भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नकद राशि तथा अतिशेष		
	30.06.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)
1. उपलब्ध नकद राशि	-	-
2. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अतिशेष	-	-
कुल(1+2)	-	-

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची 2: बैंकों के पास अतिशेष		
	30.06.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)
1. भारत में		
(क) चालू खातों में	3.60	0.04
(ख) अन्य जमा खातों में	11,078.20	14,991.50
2. भारत के बाहर	-	-
(क) चालू खातों में	-	-
(ख) अन्य जमा खातों में	-	-
कुल (1+2)	**11,081.80**	**14,991.54**

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची 3: व्युत्पन्न वित्तीय उपस्करों

1.व्युत्पन्न के उपयोग का व्याख्या करें।

2. व्युत्पन्न से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के प्रबंधन के लिए वित्तीय जोखिम अनुभाग के लिए प्रति-संदर्भ

	30.06.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)			31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)		
भाग I	आनुमानिक रकम	उचित मूल्य-देनदारियां	उचित मूल्य-आस्तियां	आनुमानिक रकम	उचित मूल्य-आस्तियां	उचित मूल्य-देनदारियां
(i)मुद्रा व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
हाजिर और वायदा	-	-	-	-	-	-
मुद्रा वायदे के सौदे	-	-	-	-	-	-
मुद्रा अदला-बदली	-	-	-	-	-	-
खरीदे गए विकल्प	-	-	-	-	-	-
बिक्री विकल्प(लिखित)	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-
उप-योग(i)	-	-	-	-	-	-
(ii)ब्याज दर व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
वायदा दर करार और ब्याज दर अदला-बदली	-	-	-	-	-	-

J SINGH & ASSOCIATES Chartered Accountants MUMBAI

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक मुंबई MUMBAI National Bank for Financing Infrastructure and Development

खरीदे गए विकल्प	-	-	-	-	-	-
बिक्री विकल्प(लिखित)	-	-	-	-	-	-
फ्यूचर्स	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-
उप-योग(ii)	-	-	-	-	-	-
(iii)ऋण व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
(iv)साधारण शेयर से संबद्ध व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
(v)अन्य व्युत्पन्न(कृपया विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-
कुल व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
वित्तीय लिखत (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)	-	-	-	-	-	-
भाग II	-	-	-	-	-	-
बचाव व्यवस्था और जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए उपर्युक्त में शामिल (भाग I) व्युत्पन्न निम्नानुसार हैं:	-	-	-	-	-	-
(i)उचित मूल्य बचाव व्यवस्था:	-	-	-	-	-	-
-मुद्रा व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
-ब्याज दर व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
प्रत्यय व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
- साधारण शेयर से संबद्ध व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-
उप-योग(i)	-	-	-	-	-	-
(ii)नकदी प्रवाह बचाव व्यवस्था:	-	-	-	-	-	-
-मुद्रा व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
-ब्याज दर व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
- प्रत्यय व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
- साधारण शेयर से संबद्ध व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
-अन्य	-	-	-	-	-	-
उप-योग(ii)	-	-	-	-	-	-

J SINGH & ASSOCIATES ★ Chartered Accountants ★ MUMBAI

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक ★ National Bank for Financing Infrastructure and Development ★ मुंबई MUMBAI

(iii)निवल विनिधान बचाव व्यवस्था	-	-	-	-	-	-
(iv)अनामित व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
कुल व्युत्पन्न वित्तीय लिखत (i)+(ii)+(iii)+(iv)	-	-	-	-	-	-

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची 4-ऋण [विशिष्ट प्रावधानों का योग अर्थात् अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान]		
	30.06.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1.(क) खरीदे गए बिल और मितिकाटा बिल	-	-
(ख)मांग पर प्रतिदेय ऋण	-	-
(ग)मीयादी ऋण	-	-
(घ)अन्य(विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
उप-योग(I)	-	-
2.(क) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत	-	-
(ख)अमूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत	-	-
(ग)बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा प्रतिभूत	-	-
(ग) प्रतिभूति रहित	-	-
उप-योग(2)	-	-
3.(क) भारत में ऋण	-	-
(ख)भारत के बाहर ऋण	-	-
उप-योग(3)	-	-
उप-योग(1),(2) और (3) एक दूसरे से मेल खाना चाहिए	-	-

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची 5: विनिधान [मूल्यह्रास और अनर्जक विनिधान के लिए उपबंधों का योग]		
	30.06.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1.भारत में विनिधान		
(क)केंद्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	14,077.94	10,005.27
(ख)बैंको और वित्तीय संस्थानों के शेयर	-	-
(ग)बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बॉण्ड, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियां	-	-
(घ)म्यूच्वुअल फंड की इकाइयां और अन्य इकाइयां	-	-

J SINGH & ASSOCIATES Chartered Accountants

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक National Bank for Financing Infrastructure and Development मुंबई MUMBAI

(ङ) अन्य इकाइयों के शेयर, बॉण्ड,डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियां	-	-
(च)सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यमों के विनिधान	-	-
(छ)अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
उप-योग(1)	**14,077.94**	**10,005.27**
2. भारत के बाहर विनिधान	-	-
(क)सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
(ख)सहायक,सहयोगी और संयुक्त उद्यम	-	-
(ग)अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
उप-योग(2)	-	-
कुल(1+2)	**14,077.94**	**10,005.27**

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची 6-अन्य वित्तीय आस्तियां		
	30.06.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1.प्राप्य राशि	-	-
2.बीमा दावे से संबंधित प्राप्य राशि	-	-
3.अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	222.01	125.43
कुल	**222.01**	**125.43**

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची 7-संपत्ति,संयंत्र और उपस्कर (मूल्यह्रास का योग)		
	30.06.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1.संपत्ति		
(क)पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	-	-
(ख)वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
(ग)वर्ष के दौरान कटौती	-	-
(घ) आज तक मूल्यह्रास	-	-
2.संयंत्र और उपस्कर	-	-
(क) पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	-	-
(ख)वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
(ग)वर्ष के दौरान कटौती	-	-
(घ) आज तक मूल्यह्रास	-	-
3.अन्य निर्धारित आस्तियां		
(क) पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	0.04	0.00
(ख)वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	0.05
(ग)वर्ष के दौरान कटौती	-	-
(घ) आज तक मूल्यह्रास	-	0.01
कुल (1+2+3)	**0.04**	**0.04**

J SINGH & ASSOCIATES Chartered Accountants MUMBAI

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक National Bank for Financing Infrastructure and Development मुंबई MUMBAI

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची 8-अन्य अमूर्त आस्तियां		
	30.06.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1.अन्य अमूर्त आस्तियां(विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
(क) पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर		-
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
(ग)वर्ष के दौरान कटौती	-	-
(घ) आज तक मूल्यह्रास	-	-
कुल	-	-

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची 9-अन्य गैर वित्तीय आस्तियां		
	30.06.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1.संपत्ति,संयंत्र और उपस्कर के उपापन के लिए दिए गए अग्रिम	-	-
2.पूर्वसंदत्त व्यय	-	-
3.अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
कुल	-	-

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची 10-जमा		
	30.06.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1.बैंकों से	-	-
2.अन्य से(विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
कुल(1+2+3)	-	-

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची 11-उधार		
	30.06.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1.भारत में उधार		
(क) भारतीय रिज़र्व बैंक से	-	-
(ख) भारत सरकार से	-	-
(ग) बैंकों से मीयादी ऋण	-	-
(घ) मियादी मुद्रा उधार	-	-
(ङ) अन्य से (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
उप-योग(1)	-	-
2.भारत के बाहर उधार		

J SINGH & ASSOCIATES Chartered Accountants MUMBAI

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक National Bank for Financing Infrastructure and Development मुंबई MUMBAI

(क)बहुपक्षीय/द्विपक्षीय संगठन(विनिर्दिष्ट किया जाएगा)		
(ख)अन्य विकास वित्तीय संस्थाएं(विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
उप-योग(2) **कुल(1+2)**	-	-

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची 12-ऋण प्रतिभूतियां*		
	30.06.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1.भारत में जारी ऋण प्रतिभूतियां		
(क) बॉण्ड और डिबेंचर	-	-
(ख) वाणिज्यिक पेपर	-	-
(ग) जमा राशि का प्रमाणपत्र	-	-
(घ) अन्य(विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
उप-योग(1)	-	-
2.भारत के बाहर जारी ऋण प्रतिभूतियां	-	
(क) बॉण्ड और डिबेंचर	-	-
(ख) अन्य(विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
उप-योग (2)	-	-
कुल(1+2)	-	-

*भारत सरकार द्वारा अभिदत्त ऋण प्रतिभूतियों को इस अनुसूची के अंतर्गत अलग से प्रस्तुत किया जाएगा।

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची 13-अन्य वित्तीय देनदारियां		
	30.06.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1. प्रोदभूत ब्याज	-	-
2. असंदत्त लाभांश	-	-
3. असंदत्त परिपक्व डिबेंचर और उस पर प्रोदभूत ब्याज	-	-
4. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	22.01	2.07
कुल	**22.01**	**2.07**

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची 14-अन्य गैर-वित्तीय देनदारियां (उपबंधों सहित)		
	30.06.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1. अग्रिम में प्राप्त राजस्व		
2. उपबंध	-	-
3. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
कुल	-	-

J SINGH & ASSOCIATES * Chartered Accountants * FRN No. 110266W MUMBAI 60.

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक * National Bank for Financing Infrastructure and Development * मुंबई MUMBAI

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची 15- शेयर पूँजी		
	30.06.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1.प्राधिकृत पूँजी		
(क) साधारण शेयर पूंजी (1,00,00,00,000 रुपये के शेयर 10/- प्रत्येक)	1,00,000.00	1,00,000.00
2.जारी,अभिदत्त और चुकता पूंजी	-	-
(क) साधारण शेयर पूंजी (20,00,00,000 रुपये के शेयर 10/- प्रत्येक पूरी तरह से चुकता)	20,000.00	20,000.00
कुल शेयर पूंजी	**20,000.00**	**20,000.00**

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची 16-आरक्षित और अधिअतिशेष		
	30.06.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1.आरक्षित निधि (राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 24 के अंतर्गत सृजित)		
(क)प्रारंभिक अतिशेष	23.94	-
(ख)वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	23.94
(ग)वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
(घ)अंतिम अतिशेष	23.94	23.94
2.आरक्षित पूंजी		
(क)प्रारंभिक अतिशेष	5,000.52	5,000.52
(ख)वर्ष के दौरान परिवर्धन	47.77	-
(ग)वर्ष के दौरान उपयोग	5,048.29	5,000.52
(घ)अंतिम अतिशेष		
3.आरक्षित विनिधान		
(क)प्रारंभिक अतिशेष	-	-
(ख)वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
(ग)वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
(घ)अंतिम अतिशेष	-	-
4. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन निर्मित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित		
(क)प्रारंभिक अतिशेष	-	-
(ख)वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	
(ग)वर्ष के दौरान उपयोग	-	-

J SINGH & ASSOCIATES Chartered Accountants

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक MUMBAI National Bank for Financing Infrastructure and Development

(घ)अंतिम अतिशेष	-	-
5.पुनर्मूल्यन आरक्षित		
(क)प्रारंभिक अतिशेष	-	-
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
(ग)वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
(घ)अंतिम अतिशेष	-	-
6.सामान्य आरक्षित		
(क)प्रारंभिक अतिशेष	-	-
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
(ग)वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
(घ)अंतिम अतिशेष	-	-
7. लाभ और हानि खाते के विवरण में अतिशेष		
(क)प्रारंभिक अतिशेष	95.76	-
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	191.79	95.76
(ग)वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
(घ)अंतिम अतिशेष	287.55	95.76
8.अन्य विशेष आरक्षित (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)		
(क)प्रारंभिक अतिशेष	-	-
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
(ग)वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
(घ)अंतिम अतिशेष	-	-
कुल आरक्षित और अधिशेष	**5,359.78**	**5,120.22**

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची 17-आकस्मिक देयताएं		
	30.06.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1. संस्था के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	-	-
2. प्रत्याभूतियों/प्रत्यय पत्रों के लेखे	-	-
3.अग्रिम संविदाओं के लेखे	-	-
4.हामीदारी प्रतिबद्धता के लेखे	-	-
5. आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयरों, डिबेंचर पर अनावश्यक धन के लेखे	-	-
6. अन्य मदें जिनके लिए संस्था आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है (विनिर्दिष्ट की जाए)	-	-
कुल	-	-

J Singh & Associates, Chartered Accountants, Mumbai

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक, मुंबई MUMBAI, National Bank for Financing Infrastructure and Development

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

30 जून 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(राशि रु करोड़ में)

	अनुसूची	30.06.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)
आय			
ब्याज और बट्टा	18	211.82	122.74
शुल्क और कमीशन आय		-	-
विनिधान की बिक्री पर शुद्ध लाभ/(हानि)	19	-	-
अन्य आय	20	-	-
कुल आय		211.82	122.74
व्यय			
वित्तीय लागत	21	-	-
शुल्क और कमीशन आय		-	-
वित्तीय आस्तियों पर उपबंध	22	9.52	-
कर्मचारी लाभ	23	-	-
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर पर मूल्यह्रास और हानि		-	0.01
अमूर्त संपत्ति का क्रमिक अपाकरण और हानि		-	-
अन्य व्यय		10.51	3.04
कुल व्यय		20.03	3.05
करों और असाधारण मदों से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)		191.79	119.70
असाधारण मद		-	-
करों से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)		191.79	119.70
कर व्यय		-	-
(i)वर्तमान कर		-	-
(ii)आस्थगित कर		-	-
अवधि के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि)		191.79	119.70
विनियोजन			

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक ★ National Bank for Financing Infrastructure and Development ★ मुंबई MUMBAI

(क) सामान्य आरक्षित में स्थानांतरण		-	-
(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित में स्थानांतरण		-	-
(ग) राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 24 के अधीन आरक्षित में स्थानांतरण			23.94
(घ) अन्य (विनिर्दिष्ट की जाए)		-	-
(ङ) लाभ और हानि खाते में अधिअतिशेष को अग्रेषित किया गया		191.79	119.70
प्रति शेयर आय			
(क) आधार		0.10	0.06
(ख) मंदित		0.10	0.06

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे सिंह एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या- 110266W

जे सिंह
साझेदार
सदस्यता संख्या -042023

टी.एन. मनोहरन
(निदेशक)
DIN: 01186248

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

राज किरण राय जि
(प्रबंध संचालक)
DIN: 07427647

स्थान - मुंबई

दिनांक: सितंबर 30, 2022

ऐश्वर्या म्हात्रे
(कंपनी सचिव)

मृणाल गोस्वामी
(विभाग प्रमुख - ट्रेजरी)

बी. एस. वेंकटेशा
(उप प्रबंध निदेशक - प्रमुख जोखि
अधिकारी)
DIN: 08489577

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची 18-ब्याज और बट्टा		
	30.06.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1. ऋण और अग्रिम पर ब्याज और छूट आय	-	-
2. विनिधान पर ब्याज और छूट आय	211.82	122.74
3. बैंकों से देय और अतिशेष राशि पर ब्याज	-	-
4. अन्य ब्याज आय (निर्दिष्ट किया जाना है)	-	-
कुल	**211.82**	**122.74**

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची 19- विनिधान की बिक्री पर शुद्ध लाभ/(हानि)		
	30.06.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1. कम विनिधान की बिक्री पर लाभ: विनिधान की बिक्री पर हानि	-	-
कुल	-	-

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची 20-अन्य आय		
	30.06.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1. अग्रिम और प्रसंस्करण शुल्क	-	-
2. विनिधान पर लाभांश के रूप में अर्जित आय	-	-
3. सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के माध्यम से अर्जित आय	-	-
4. विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि) (वित्त लागत के अतिरिक्त)	-	-
5.अन्य आय (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
कुल	-	-

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची 21-वित्त लागत		
	30.06.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1. निक्षेप पर ब्याज	-	-
2. उधार पर ब्याज	-	-
3. ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज	-	-

J SINGH & ASSOCIATES Chartered Accountants MUMBAI

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक मुंबई MUMBAI National Bank for Financing Infrastructure and Development

4. अन्य ब्याज खर्च (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
कुल	-	-

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची 22- वित्तीय आस्तियों पर प्रावधान		
	30.06.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1. अनर्जक आस्तियों के लिए उपबंध	-	-
2. मानक ऋण के लिए उपबंध	-	-
3. लंबी अवधि के विनिधान के मूल्य में कमी के उपबंध	-	-
4. अन्य वित्तीय आस्तियों पर उपबंध/उल्टाव	9.52	-
कुल	**9.52**	-

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची 23: कर्मचारी लाभ		
	30.06.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1. बोनस सहित वेतन और मजदूरी	-	-
2. भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	-	-
3. कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
4. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
कुल	-	-

(राशि रु करोड़ में)

अनुसूची 24: अन्य खर्चे		
	30.06.2022 की स्थिति के अनुसार (वर्तमान वर्ष)	**31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (पूर्व वर्ष)**
1. किराया, दरें और कर	-	0.02
2. बिजली और अन्य सुविधाएं	-	-
3. प्रिंटिंग और स्टेशनरी	-	-
4. संचार लागत	-	-
5. विज्ञापन और प्रचार	-	0.03
6. निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्चे	0.17	0.01
7. लेखापरीक्षक की फीस और व्यय	0.03	0.14
8. कानूनी और पेशेवर शुल्क	9.84	1.83
9. मरम्मत और रखरखाव	-	-
10. बीमा	-	-
11. अन्य व्यय*	0.47	1.02
कुल	**10.51**	**3.04**

* 'अन्य व्यय' उप-शीर्ष के अंतर्गत कोई भी मद जो कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक हो, को अलग से दर्शाया जाना है।

J SINGH & ASSOCIATES Chartered Accountants MUMBAI 60

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक National Bank for Financing Infrastructure and Development मुंबई MUMBAI

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

30 जून, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट

31.03.2022		विवरण		30.06.2022	30.06.2022
₹ करोड़				₹ करोड़	₹ करोड़
	1.	**परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**			
119.70		पी एंड एल खाते के अनुसार कर पूर्व शुद्ध लाभ			191.79
		के लिए समायोजन:			
0.01		मूल्यह्रास		0.00	
-		प्रारंभिक एक्सप्रेस w/o		-	
1.30		किए गए प्रावधान (वापस लिखने का शुद्ध)		-	
(89.89)		निवेश पर अर्जित ब्याज		9.52	
-		निवेश की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)		-	
-		अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ		-	
-		निवेश पर प्राप्त लाभांश		-	
		संचालन से उत्पन्न नकदी			9.52
31.11		(परिचालन परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन से पहले)			**201.31**
		इसमें शुद्ध परिवर्तन के लिए समायोजन:			
		वर्तमान संपत्ति			
(35.55)		वर्तमान देनदारियां		(96.58)	
0.77		विनिमय बिल		10.42	
-		ऋण और अग्रिम।		-	
-		बांड और डिबेंचर और अन्य उधार की शुद्ध आय		-	
-		जमा प्राप्त		-	
-				-	
(34.78)					**(86.16)**
(3.66)		कर का भुगतान			115.15

-		**परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह**		-	-
(3.66)					**115.15**
	2.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**			
		शुद्ध (खरीद) / अचल संपत्तियों की बिक्री			
(0.05)		शुद्ध (खरीद)/निवेशों की बिक्री		-	
(10,005.27)		निवेश पर प्राप्त लाभांश निवेश		(4,072.66)	
-		**गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी**		-	
(10,005.32)					**(4,072.66)**
	3.	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**			
		शेयर पूंजी और शेयर प्रीमियम जारी करने से प्राप्त पूंजी			
20,000.00		प्राप्त अनुदान		-	
5,000.00		अनुदान पर ब्याज		-	
0.52		**वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी**		47.77	
25,000.52					**47.77**
	4.	**नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)**			
14,991.54					**(3,909.74)**
	5.	**अवधि की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष**			
-					**14,991.54**
	6.	**अवधि के अंत में नकद और नकद समकक्ष**			
14,991.54					**11,081.80**
	7.	**अवधि के अंत में नकद और नकद समकक्ष में शामिल हैं**			
-		कॅश हाथ में			-
0.04		बैंक के साथ चालू खाता शेष			3.60
-		म्यूचुअल फंड्स			-
14,991.50		जमा			11,078.20

J SINGH & ASSOCIATES * Chartered Accountants * MUMBAI

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक * National Bank for Financing Infrastructure and Development * मुंबई MUMBAI

नोट: कैश फ्लो स्टेटमेंट एएस -3 (संशोधित) 'कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।	

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

कृते जे सिंह एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या- 110266W

जे सिंह
साझेदार
सदस्यता संख्या -042023

J SINGH & ASSOCIATES * Chartered Accountants * FRN 110266W MUMBAI 60.

टी.एन. मनोहरन
(निदेशक)
DIN: 01186248

राज किरण राय जि
(प्रबंध संचालक)
DIN: 07427647

ऐश्वर्या म्हात्रे
(कंपनी सचिव)

मृणाल गोस्वामी
(विभाग प्रमुख - ट्रेजरी)

बी. एस. वेंकटेशा
(उप प्रबंध निदेशक - प्रमुख जोखिम अधिकारी)
DIN: 08489577

स्थान – मुंबई

दिनांक: सितंबर 30, 2022

राष्ट्रीय अवसंरचना संवर्धन और विकास बैंक National Bank for Financing Infrastructure and Development मुंबई MUMBAI

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (नैबफिड)

अनुसूची XXIV : खातों पर टिप्पणियाँ

1) **संस्था प्रोफाइल:**

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक ("संस्था") की स्थापना 28 मार्च, 2021 को संसद द्वारा राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अक्त के अंतर्गत बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए प्रमुख विकास वित्तीय संस्थान के रूप में पारित किया गया।

संस्थान का विकासात्मक उद्देश्य भारत में या भारत के बाहर केंद्र और राज्य सरकारों, नियामकों, वित्तीय संस्थानों, संस्थागत निवेशकों और ऐसे अन्य संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय करना होगा, ताकि विकास का समर्थन करने के लिए संबंधित संस्थानों के निर्माण और सुधार की सुविधा मिल सके। घरेलू बांड और डेरिवेटिव बाजारों सहित भारत में दीर्घकालिक गैर-आश्रय अवसंरचना वित्तपोषण।

संस्थान का वित्तीय उद्देश्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना होगा, और निजी क्षेत्र के निवेशकों और संस्थागत निवेशकों से, भारत में या आंशिक रूप से भारत में और आंशिक रूप से भारत के बाहर स्थित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश आकर्षित करना होगा। भारत में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।

निदेशक मंडल ने 16 जुलाई, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2022 को समाप्त पिछली अवधि के लिए संस्थान के वित्तीय विवरणों को मंजूरी दी। निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए संस्थान के वित्तीय विवरणों को मंजूरी दी और 16 जुलाई, 2022 को जारी करने के लिए अधिकृत किया।

संस्था का तुलन पत्र और लेखा तैयार करने के संबंध में राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक एक्ट, 2021 की धारा 25 के अनुसार, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक का बैलेंस शीट और लाभ और हानि का विवरण और तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक वित्तीय विवरणों की जांच से संबंधित एनएबीएफआईडी सामान्य विनियमन दिनांक 02 मार्च 2022 की धारा 4 (जे) और बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले लेखा परीक्षा समिति द्वारा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, तिमाही के लिए वित्तीय विवरण समाप्त 30 जून, 2022 को मेसर्स जे सिंह एंड एसोसिएट्स, सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन तैयार किया गया है।

2) **इंड -ए एस का कार्यान्वयन:**

जैसा कि सभी एआईएफआई के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है, एआईएफआई द्वारा इंड-एएस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक के लिए स्थगित किया गया है। तदनुसार, राष्ट्रीय वित्तपोषण अवसंरचना और विकास बैंक (नैबफिड NaBFID) के वित्तीय विवरण एएस जीएएपी के तहत तैयार किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एआईएफआई के लिए इंड एएस के लिए निर्देश के अनुसार , इंड एएस पर लागू होने वाले उपयुक्त प्रपत्रों को नैबफिड द्वारा अपनाया जाएगा।

J. SINGH & ASSOCIATES Chartered Accountants

मुंबई MUMBAI

3) आयकर के लिए प्रावधान

वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार ने 18 अप्रैल, 2022 को अपने पत्र के माध्यम से नैबफिड (NaBFID) को उसके द्वारा उपार्जित या अर्जित आय के संबंध में, आकलन वर्ष 2022-23 से शुरू होने वाली अगले 10 वर्षों की अवधि के लिए आयकर की प्रयोज्यता के लिए छूट प्रदान की है।

4) अनुसूची II के तहत बैंकों के साथ अथशेष राशि:

(रु करोड़ में)

विवरण	यथा 30.06.2022 (चालू वर्ष)	यथा 31.03.2022 (पिछला वर्ष)
1. भारत में		
a. चालू खाते में	3.60	0.04
b. अन्य जमा खाते में	0.00	-
सावधि जमा	6000.00	9,965.00
सावधि जमा (सुरभि)	30.70	26.50
सावधि जमा - अनुदान राशि	5047.50	5000.00
2. भारत से बाहर		
a. चालू खाते में		-
b. अन्य जमा खाते में		-
योग (1+2)	**11,081.80**	**14,991.54**

5) अनुसूची V के तहत निवेश:

अनुसूची V के अंतर्गत निवेश के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(रु करोड़ में)

विवरण	यथा 30.06.2022 (चालू वर्ष)	यथा 31.03.2022 (पिछला वर्ष)
1. भारत में निवेश		
a. केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	14,077.94	10,005.27
2. भारत के बाहर निवेश	-	-
योग (1+2)	**14,077.94**	**10,005.27**

6) अनुसूची VI के तहत अन्य वित्तीय आस्तियां:

(रु करोड़ में)

विवरण	यथा 30.06.2022 (चालू वर्ष)	यथा 31.03.2022 (पिछला वर्ष)
1. प्राप्तियाँ	-	-
2. बीमा दावों के संबंध में प्राप्तियाँ	-	-

J SINGH & ASSOCIATES Chartered Accountants

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक National Bank for Financing Infrastructure and Development मुंबई MUMBAI

3. अन्य (निर्दिष्ट करने के लिए)		
जी-सेक ट्रेजरी पर उपचित ब्याज	136.78	47.10
सावधि जमा पर उपचित ब्याज	48.88	42.78
अग्रिम आयकर	35.53	35.53
रिवर्स चार्ज खाते के तहत सीजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट लंबित उपलब्धता	-	-
एसजीएसटी /यूटीजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स चार्ज खाते के तहत लंबित उपलब्धता	-	-
सुरक्षा जमा खाते में अंशदान	0.02	0.02
अनुदान सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	0.80	
योग Total	**222.01**	**125.43**

7) **अनुसूची VII के तहत आस्ति , संयंत्र और उपकरण [मूल्यह्रास के बाद]**

अनुसूची VII के तहत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण [मूल्यह्रास का शुद्ध] में डेड स्टॉक के रूप में पहचाने गए लैपटॉप की खरीद शामिल है, जिसे 33.33% की दर से मूल्यह्रास किया गया है और 30 जून, 2022 को डब्लूडीवी रु। 3,65,918.66/-.

8) **अनुसूची XIII के तहत अन्य वित्तीय देनदारियां**

(रु करोड़ में)

विवरण	**यथा 30.06.2022**	**यथा 31.03.2022**
	(चालू वर्ष)	**(पिछला वर्ष)**
SIDBI को देय राशि	0.80	0.77
रिवर्स चार्ज खाते के तहत देय CGST	0.01	-
रिवर्स चार्ज खाते के तहत देय SGST/ UTGST	0.01	-
पेशेवर / तकनीकी शुल्क के भुगतान पर स्रोत पर काटा गया कर	0.01	-
भुगतान योग्य स्रोत पर काटा गया कर	1.30	0.13
प्रावधान (देय व्यय के लिए)	10.36	1.17
निवेश पर मूल्यह्रास का प्रावधान	9.52	-
योग	**22.01**	**2.07**

9) **अनुसूची XVI के तहत आरक्षित और अधिशेष**

विवरण	**यथा 30.06.2022 (चालू वर्ष)**	**यथा 31.03.2022 (पिछला वर्ष)**
सुरक्षित कोष (नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट, 2021 की धारा 24 के तहत बनाया गया)	23.94	23.94

पूंजी आरक्षित - वर्ष के दौरान वृद्धि		
अनुदान प्राप्त	5,000	5,000
उस पर ब्याज	48.29	0.52
लाभ और हानि खाते के विवरण में शेष राशि	287.55	95.76
योग	**5,359.78**	**5,120.22**

10) अनुसूची XVII में निर्दिष्ट आकस्मिक देयताएं

जून 30, 2022 को नैबफिड की बही में आकस्मिक देयताएं शून्य हैं।

11) अनुसूची XVIII के तहत ब्याज और छूट:

(रु करोड़ में)

विवरण	यथा 30.06.2022 (चालू वर्ष)	यथा 31.03.2022 (पिछला वर्ष)
निवेश पर ब्याज और छूट आय		
सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	76.91	75.64
सरकारी प्रतिभूतियों पर अर्जित ब्याज	134.91	47.10
योग	**211.82**	**122.74**

12) अनुसूची XXI के तहत ब्याज और वित्तीय शुल्क:

(रु करोड़ में)

विवरण	यथा 30.06.2022 (चालू वर्ष)	यथा 31.03.2022 (पिछला वर्ष)
ट्रेजरी से संबंधित अतिरिक्त व्यय खाता	- *	-
बैंक प्रभार	- *	-
योग	-	-

* इस संस्था ने ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज के तहत रु 2,065/- रुपये का वित्त प्रभार व्यय किया है।

13) अनुसूची XXIV के तहत अन्य व्यय:

(रु करोड़ में)

विवरण	यथा 30.06.2022 (चालू वर्ष)	यथा 31.03.2022 (पिछला वर्ष)
किराया, दरें और कर	-	0.02
विज्ञापन और प्रचार	-	0.03
निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्च	0.17	0.01
लेखा परीक्षक की फीस और खर्च	0.03	0.14
विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	9.84	1.83
अन्य व्यय	0.47	1.02
योग	**10.51**	**3.04**

J SINGH & ASSOCIATES Chartered Accountants

मुंबई MUMBAI

14. <u>प्रति शेयर आय (ईपीएस) (एएस -20):</u>

संस्था एएस 20 के अनुसार मूल और विलेय प्रति शेयर अर्जित आय की रिपोर्ट करती है। प्रतिं शेयर मूल आय की गणना कर के बाद शुद्ध लाभ को वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। जून 30, 2022 तक, संस्थान के पास 0.10 प्रति शेयर आय है।

15. प्रस्तावित लाभांश शून्य है क्योंकि परिचालन आय अभी अर्जित की जानी है।

16. **<u>लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक</u>**

लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक में निम्नलिखित शामिल हैं:

विवरण	**यथा 30.06.2022**	**यथा 31.03.2022**
	(चालू वर्ष)	**(पिछला वर्ष)**
सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.03	0.10
टैक्स ऑडिट फीस	0.01	0.04

17. लेखांकन मानक 28- आस्तियों की क्षति के संदर्भ में संस्था की अचल संपत्तियों की कोई भौतिक हानि नहीं है।

18. लेखा मानक 29 के तहत प्रकटीकरण के संदर्भ में आकस्मिकताओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

19. **<u>निवेशकों की शिकायतें:</u>**

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एनएबीएफआईडी ने अभी तक अपना परिचालन शुरू नहीं किया है, जून 2022 की समाप्ति तिथि पर निवेशकों की कोई शिकायत नहीं है।

20. अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 20,000 करोड़ रुपये की जारी की गई शेयर पूंजी कुल 1,00,000 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी में से आवंटित की गई है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 21 के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा 5,000 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की गई है। 20,000 करोड़ रुपये की पूरी प्रारंभिक पूंजी और 5,000 करोड़ रुपये के अनुदान कोष को ट्रेजरी बिल और फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश किया गया है, जो भारतीय स्टेट बैंक में बनाए गए अपने परिचालन बैंक के साथ है।

21. अपने शुरुआती चरण में होने के नाते, संस्थान के पास वित्तीय वर्ष के अंत में रु 25,382 करोड़ रुपये का आस्ति आधार है। इसके अलावा, नैबफिड ने वित्त वर्ष 2022 के दौरान रु 191.79 करोड़ रुपये का अपना शुद्ध लाभ दर्ज किया है जो कि मुख्य रूप से एफडी और जी-सेक निवेश पर अर्जित ब्याज द्वारा हुआ है ।

22. नैबफिड अधिनियम, 2021 की धारा 24 के अनुसार, संस्थान एक आरक्षित निधि स्थापित करेगा, जिसे ऐसी राशियों को स्थानांतरित किया जा सकता है जो बोर्ड संस्थान को प्राप्त होने वाले वार्षिक लाभ में से उचित समझे। तदनुसार, संस्था ने संस्थान को प्राप्त होने वाले वाषक लाभ के बीस प्रतिशत (20%) के अंतरण के साथ एक आरक्षित निधि की स्थापना की है और इसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया

J SINGH & ASSOCIATES Chartered Accountants MUMBAI

मुंबई MUMBAI National Bank for Financing Infrastructure and Development

गया है। इसलिए, पिछली वित्तीय अवधि के दौरान 23.94 करोड़ रुपये की राशि एक विशिष्ट आरक्षित निधि के रूप में स्थानांतरित की गई थी।

23. (i) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि खातों में नोटों में खुलासा किया गया है, कोई भी फंड उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार के फंड से) कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (ओं) में, विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करेगा कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने जाने वाले अन्य व्यक्ति या संस्थाएं ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करते हैं।

(ii) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि खातों की टिप्पणियों में बताया गया है, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (संस्थाओं) से कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है ("फंडिंग पार्टियां"), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी ("अंतिम" लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करते हैं।

iii) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उपखंड (i) और (ii) के तहत प्रतिनिधित्व, जैसा कि उपरोक्त के तहत प्रदान किया गया है, जिसमें कोई भी सामग्री गलत विवरण है।

24) <u>संबंधित पार्टियों की सूची (एएस 18)</u>

मुख्य प्रबंध कार्मिक

नाम	पदनाम
श्री राज किरण राय जि	प्रबंध संचालक
श्री बी. एस. वेंकटेशा	उप प्रबंध निदेशक - प्रमुख जोखिम अधिकारी
सुश्री ऐश्वर्या म्हात्रे	कंपनी सचिव

J SINGH & ASSOCIATES Chartered Accountants

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक मुंबई MUMBAI National Bank for Financing Infrastructure and Development

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (NaBFID)
अनुसूची XXV : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. तैयार करने के आधार:

वित्तीय विवरणों को कंपनी (लेखा मानक) नियम 2015 के तहत अधिसूचित और समय-समय पर संशोधित के अनुसार, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक, 2021 (NaBFID एक्ट , 2021) और लेखा मानकों के साथ सभी भौतिक मामलों में अनुपालन करने के लिए तैयार किया गया है। अनुसूची या ऐसे संशोधन के साथ जो कुछ परिस्थितियों में आवश्यक हो। जहां लेखा मानकों (एएस) सहित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक अधिनियम, विनियमों, दिशानिर्देशों या परिपत्रों की आवश्यकताओं का अनुपालन (वर्तमान, गैर-वर्तमान के अनुसार संपत्ति और देनदारियों को प्रस्तुत करने के विकल्प को छोड़कर) जैसा कि प्रासंगिक एएस द्वारा प्रदान किया गया वर्गीकरण) जैसा कि संस्थान पर लागू हो, उपचार या प्रकटीकरण में किसी भी बदलाव की आवश्यकता होती है, जिसमें शीर्ष या उप-शीर्ष में जोड़, संशोधन, प्रतिस्थापन या विलोपन या किसी भी परिवर्तन, वित्तीय विवरणों या उसके हिस्से के रूप में बयान शामिल हैं, वही बनाया जाएगा और इस अनुसूची के तहत आवश्यकताओं को तदनुसार संशोधित किया जाएगा । जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत पद्धति के अंतर्गत उपचय आधार पर तैयार किए गए हैं।

ये वित्तीय विवरण भारतीय रिजर्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के वित्तीय विवरण - प्रस्तुति, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग) निर्देश, 2016 के संशोधित रूप में तैयार किए गए हैं। ये वित्तीय विवरण भारत में लागू सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा निर्धारित लेखा मानकों (एएस) के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

वित्तीय विवरण आईएनआर में करोड़ों में प्रस्तुत किए जाते हैं और सभी मूल्यों को निकटतम रुपये में गोल किया जाता है, सिवाय इसके कि जब अन्यथा संकेत दिया गया हो।

2. आकलनों का उपयोग:

आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों की अनुरूपता में वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन से अपेक्षित होता है कि वह ऐसे आकलन और अनुमान करें, जो वित्तीय विवरण की तारीख में आस्तियों और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशियों, आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और रिपोर्ट की अवधि में रिपोर्ट की गई आय और व्यय की राशियों को प्रभावित करते हैं। प्रबंधन का मानना है किये अनुमान और मान्यताएँ उचित और विवेकपूर्ण हैं। हालांकि वास्तविक परिणाम उक्त अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन के प्रभाव को परिवर्तन की अवधि से संभावित रूप से पहचाना जाता है।

J SINGH & ASSOCIATES Chartered Accountants MUMBAI

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक मुंबई MUMBAI National Bank for Financing Infrastructure and Development

3. राजस्व निर्धारण:

यह संभावना है कि आर्थिक लाभ संस्थान को प्रवाहित होगा और राजस्व को मज़बूती से मापा जा सकता है, जब संविदात्मक प्रदर्शन की आवश्यकताओं को पूरा किया गया हो, राजस्व को तब मान्यता दी जाती है।

3.1. आय:

3.1.1. लाभ औरहानि लेखा में आय, सकल रूप में अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों तथा संस्थान की आंतरिक नीतिके अनुसारदर्शायी गई है।

3.1.2. मानक (अर्जक) आस्तियों के संबंध में वचनबद्धता प्रभार, बीज पूँजी/सुलभ ऋण सहायता पर सेवा-प्रभार और रॉयल्टी आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है।

3.1.3. औद्योगिक प्रतिष्ठानों और वित्तीय संस्थाओं में धारित शेयरों पर जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है तो लाभांश को वसूली के पश्चात् आय माना गया है।

3.1.4. दंडात्मक ब्याज सहित ब्याज आय का लेखा प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

3.2) **व्यय :**

3.2.1 सभी व्यय उपचय आधार पर हिसाब में लिए गए हैं।

3.2.2 जारी किए गए बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों पर बट्टे को बॉण्डों और वाणिज्यिक पत्रों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया गया है। बॉण्ड जारी करने संबंधी व्ययों को बॉण्डों की मीयाद के अनुसार परिशोधित कर दिया गया है।

4. **निवेश :**

4.1. भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, संपूर्ण निवेश संविभाग को 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री हेतु उपलब्ध' तथा 'व्यापार हेतु धारित' की श्रेणियों में संवर्गीकरण कर दिया गया है। निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। प्रत्येक श्रेणी के निवेशों को पुनः निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है:

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ,
ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ,
ग) शेयर,
घ) डिबेंचर तथा बॉण्ड
ङ) सहायक संस्थाएँ/संयुक्त उपक्रम और
च) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति पावतियां,जमा प्रमाणपत्र आदि)

(a) परिपक्वता तक धारित:

परिपक्वता तक बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे निवेशों को अर्जन लागत पर दर्शाया गया है, बशर्ते वह अंकित मूल्य से

अधिक न हो। ऐसा होने पर प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित कर दिया गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत सहायक कंपनियों में निवेशों के मूल्य में कमी (अस्थायी को छोड़कर) प्रत्येक निवेश के संबंध में अलग-अलग प्रावधान किया गया है।

(b) व्यापार हेतु धारित:

अल्पावधि मूल्य/ब्याज-दर परिवर्तन का लाभ उठाते हुए 90 दिनों में पुनः बेचने के इरादे से किए गए निवेशों को 'व्यापार हेतु धारित' श्रेणी में रखा गया है। इस वर्ग के निवेशों का समग्र रूप से स्क्रिप-अनुसार पुनर्मूल्यांकन किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास को अलग-अलग स्क्रिपों के बही-मूल्य में तत्संगत परिवर्तन करते हुए लाभ-हानि लेखा में हिसाब में लिया गया है। व्यापार/ उद्धृत निवेश के संबंध में, बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों पर उपलब्ध ट्रेडों / उद्धरणों से लिया गया है।

(c) बिक्री हेतु उपलब्ध:

i. उपर्युक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत न आनेवाले निवेशों को 'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत अलग-अलग स्क्रिपों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और उक्त वर्गीकरण में से किसी के भी अंतर्गत हुए निवल मूल्यह्रास को लाभ और हानि लेखे में हिसाब में लिया गया है। किसी भी वर्गीकरण के अंतर्गत निवल मूल्यवृद्धि को नज़रअंदाज कर दिया गया है। अलग-अलग स्क्रिपों के बही-मूल्यमें पुनर्मूल्यांकन के बाद परिवर्तन नहीं किया गया है।

4.2. कोई निवेश परिपक्वता के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत है, या बिक्री के लिए उपलब्ध है या इसकी खरीद के समय व्यापार के लिए धारित है तथा बाद में इसकी श्रेणियों में अंतरण और उसका मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाता है।

4.3. ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र और जमा प्रमाणपत्र, बट्टा वाले लिखत हैं, लागत मूल्य पर इनका मूल्यांकन किया जाता है।

4.4. उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाजार मूल्यों पर किया जाता है और जो सरकारी प्रतिभूतियां उद्धृत नहीं है/ जिनका व्यापार नहीं हो रहा है उनका मूल्य निर्धारण वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा घोषित मूल्यों पर किया जाता है।

4.5. निवेश जो भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए कॉर्पस या निधि से बने होते हैं और संबंधित निधि शेष से बेची हुई निधि का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं अपितु उसकी लागत पर होता है।

4.6. निवेशों में खरीद और बिक्री की प्रविष्टि 'निपटान तारीख' का पालन करते हुए की गई है।

4.7. जो डिबेंचर/बाण्ड/शेयर अग्रिम की प्रवृत्ति के माने गए हैं, वे ऋण और अग्रिमों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन हैं।

4.8. निवेशों की लागत भारित औसत लागत पद्धति से निर्धारित की गई है।

4.9. अभिग्रहण/बिक्री के समय अदा की गई दलाली, कमीशन आदि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया गया है।

4.10. ऋण-निवेश में प्रदत्त/प्राप्त खंडित अवधि- ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना गया है और उसे लागत/बिक्री-राशि से अलग रखा गया है।

J SINGH & ASSOCIATES Chartered Accountants MUMBAI 60.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक / National Bank for Financing Infrastructure and Development मुंबई MUMBAI

4.11. म्यूचुअल फंड की इकाइयों का मूल्यांकन म्यूचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य / शुद्ध संपत्ति मूल्य पर किया जाता है। गैर-उद्धृत इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन ब्रेक-अप मूल्य पर किया जाता है, यदि नवीनतम बैलेंस शीट उपलब्ध है, या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 1 पर।

4.12. उद्धृत न की गई निश्चित आय वाली प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा) का मूल्यांकन केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के समान परिपक्वता अवधि पर प्रतिलाभ की दर से उपयुक्त मार्क अप के आधार पर किया गया है। एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित संगत दरों के अनुसार परिपक्वता अवधि पर प्रतिलाभ की दर और इस तरह के मार्क-अप को लागू किया गया हैं।

5. विदेशी मुद्रा संव्यवहार:

विदेशी मुद्रा से जुड़े लेनदेन के लिए लेखांकन भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) -11 विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव" (संशोधित 2003) के अनुसार किया जाता है। विदेशी मुद्रा लेनदेन लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर संबंधित विदेशी मुद्राओं में खाते की पुस्तकों में दर्ज किए जाते हैं। बकाया वायदा विनिमय अनुबंधों के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों और गारंटियों के संबंध में की जाती है; स्वीकृति, अनुमोदन और अन्य दायित्वों की गणना फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ('FEDAI') द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर की जाती है। मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देनदारियों को FEDAI द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर अनुवादित किया जाता है और परिणामी लाभ / हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है। विदेशी मुद्रा एलओसी पर पुनर्मूल्यांकन अंतर समायोजित और विनिमय जोखिम के प्रबंधन के लिए खोले गए और बनाए गए एक विशेष खाते में दर्ज किया गया है।
व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किए गए व्युत्पन्न अनुबंधों को बाजार में चिह्नित किया जाता है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया जाता है। व्युत्पन्न अनुबंधों के तहत कोई भी प्राप्य राशि जो 90 दिनों से अधिक समय तक अतिदेय रहती है और समान काउंटर-पार्टियों के साथ अन्य डेरिवेटिव अनुबंधों पर मार्क-टू-मार्केट लाभ लाभ और हानि खाते के माध्यम से उलट दिया जाता है।

6. ऋण एवं अग्रिम:

6.1. ऋण तथा अन्य सहायता संविभागों का प्रतिनिधित्व करने वाली आस्तियों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार अर्जक और अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अनर्जक आस्तियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया गया है।

6.2. तुलन-पत्र में उल्लिखित अग्रिम, अनर्जक अग्रिमों व पुनर्संरचित अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर है ।

6.3. मानक आस्तियों के संबंध में सामान्य प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं।

6.4. चल प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार किए और उपयोग में लाए गए हैं।

J SINGH & ASSOCIATES * MUMBAI 60. * Chartered Accountants

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक * National Bank for Financing Infrastructure and Development * मुंबई MUMBAI

7. कराधान:

7.1. कर संबंधी व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर, दोनों शामिल हैं। वर्तमान आयकर की गणना आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आयकर प्राधिकारियों को अदा की जानेवाली संभावित राशि के और आय परिकलन प्रकटीकरण मानकों के आधार पर की जाती है।

7.2. आस्थगित आयकर, वर्ष की कर-योग्य आय तथा लेखांकन आय के मध्य वर्तमान वर्ष के समयांतराल और पूर्ववर्ती वर्षों के समयांतराल के प्रत्यावर्तन के प्रभाव को दर्शाता है। आस्थगित कर की गणना तुलन-पत्र की तारीख तक अधिनियम अथवा यथेष्ट रूप में अधिनियमित कर-कानूनों और कर की दरों के आधार पर की गई है।

7.3. आस्थगित कर आस्तियाँ केवल उस सीमा तक निर्धारित की गई हैं, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर-योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसे आस्थगित कर की वसूली हो सकती है। पूर्ववर्ती वर्षों की अनिर्धारित आस्थगित आस्तियों का उस सीमा तक पुनर्मूल्यांकन और निर्धारण किया गया है, जिस सीमा तक यह समुचित विश्वास है कि भविष्य में पर्याप्त कर- योग्य आय होगी, जिसके प्रति ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की वसूली हो सकती है।

7.4. जो प्रावधान न किए गए विवादित कर हैं, जिसमें विभागीय अपील भी शामिल है, उन्हे आकस्मिक देयता में लिया गया हैं।

8. प्रतिभूतीकरण:

8.1. संस्था बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से क्रेडिट रेटेड एसेट पूल्स को स्पेशल पर्पज व्हीकल द्वारा जारी पास-थ्रू सर्टिफिकेट के माध्यम से खरीद सकती है। इस प्रकार के प्रतिभूतीकरण संव्यवहार निवेशके रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं और निवेश के उद्देश्य के आधार पर उनका आगे वर्गीकरण व्यापार हेतु धारित/विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में किया जाता है।

8.2. संस्थान द्विपक्षीय सीधे समनुदेशक के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के श्रेणीनिर्धारित आस्ति-समूह खरीदता है। ऐसे सीधे समनुदेशन संव्यवहारों को संस्थान द्वारा 'अग्रिम' के रूप में लेखांकित किया जाता है।

8.3. संस्थान सीधे समनुदेशन द्वारा ऋण एवं अग्रिम की बिक्री करता है। अधिकतर मामलों में संस्थान इन संव्यवहारों के अंतर्गत बेचे गए ऋण एवं अग्रिम की चुकौती करना जारी रखता है तथा बेचे गए ऋण एवं अग्रिम पर अवशेष ब्याज का हक़दार होता है। आस्तियों पर नियंत्रण के समर्पण के सिद्धान्त के आधार पर सीधे समनुदेशन के अंतर्गत बेची गई आस्तियों को संस्थान की बहियों के हिसाब से निकाल दिया जाता है।

8.4. बेचे गए ऋणों और अग्रिमों पर अवशिष्ट ब्याज को अंतर्निहित ऋणों और अग्रिमों के जीवनकाल में मान्यता दी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, मानक परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण से होने वाले लाभ/प्रीमियम को दिशानिर्देशों में निर्धारित पद्धति के आधार पर परिशोधित किया जाता है। संस्थान बिक्री के समय तुरंत प्रतिभूतिकरण से होने वाली किसी भी हानि के लिए जिम्मेदार है। सहारा दायित्व के साथ सीधे समनुदेशन के माध्यम से ऋण आस्तियों की

J SINGH & ASSOCIATES Chartered Accountants
राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक National Bank for Financing Infrastructure and Development मुंबई MUMBAI

बिक्री से होने वाली शुद्ध आय को बेची गई अंतर्निहित आस्तियों के जीवनकाल में परिशोधित किया जाता है और बिना किसी सहारा दायित्व के, प्रत्यक्ष समनुदेशन के माध्यम से ऋण आस्तियों की बिक्री से प्राप्त शुद्ध आय को बिक्री के समय मान्यता दी जाती है। ऋण परिसंपत्तियों के सीधे समनुदेशन के कारण होने वाली शुद्ध हानि को बिक्री के समय मान्यता दी जाती है।

9. आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री:

9.1. अनर्जक आस्तियों की बिक्री नकद आधार पर अथवा प्रतिभूति प्राप्ति(एसआर) में निवेश आधार पर की जाती है। एसआर आधार पर बिक्री के मामले में, बिक्री प्रतिफल अथवा उसके भाग को प्रतिभूति-प्राप्ति के रूप में निवेश समझा जाता है। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी सुरक्षा रसीदों का मूल्यांकन समय-समय पर आरबीआई द्वारा निर्धारित ऐसे उपकरणों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

9.2. यदि आस्ति की बिक्री निवल बही मूल्य (अर्थात् बही-मूल्य में से धारित प्रावधान हटाने पर प्राप्त मूल्य) से कम पर कर दी जाती है, तो कमी को लाभ-हानि लेखा के नामे किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक है, तो धारित बेशी प्रावधान को उस वर्ष लाभ-हानि लेखे में प्रतिवर्तित किया जा सकता है, जिस वर्ष राशि प्राप्त हुई हो । बेशी प्रावधान का प्रतिवर्तन उस प्राप्त राशि तक सीमित होता है, जो आस्ति के निवल बही मूल्य से अधिक हो ।

10. स्टाफ के हितार्थ प्रावधान

10.1.एक नई पेंशन योजना एक परिभाषित योगदान योजना है और सभी कर्मचारियों के लिए लागू है। संस्था पूर्व निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान का भुगतान करती है और संस्था की बाध्यता ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। योगदान लाभ और हानि खाते से लिया जाता है।

10.2. बीमांकिक लाभ / हानि को तुरंत लाभ और हानि खाते में ले जाया जाता है और आस्थगित नहीं किया जाता है।

10.3. स्वेच्छीक सेवा-निवृत्ति योजना के अंतर्गत किए गए भुगतान का व्यय जिस वर्ष होता है, उसी वर्ष के लाभ-हानि लेखे में उसे प्रभारित किया जाता है।

10.4. सेवा-कालिक (अल्पविधि) लाभ:

अल्पावधि लाभों से उत्पन्न देयता का निर्धारण गैर-बट्टाकृत आधार पर होता है और उस सेवा अवधि के संबंध में होता है, जिसके कारण कर्मचारी ऐसे लाभ का हकदार बनता है।

11. स्थिर आस्तियाँ और मूल्यह्रास

11.3. स्थिर आस्तियाँ अभिग्रहण की लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षति (यदि हो) को घटाकर दर्शाई गई हैं।

J SINGH & ASSOCIATES Chartered Accountants MUMBAI 60.

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक National Bank for Financing Infrastructure and Development MUMBAI

11.4. आस्ति की लागत में खरीद लागत और उपयोग करने से पहले आस्ति पर किए गए सभी व्यय शामिल हैं। उपयोग में रखी गई आस्तियों पर किए गए बाद के व्यय केवल तभी पूंजीकृत होंगे जब इन आस्तियों या उनकी कार्यशील क्षमता से भविष्य का लाभ। संपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है।

11.5. पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान निम्नवत किया गया है (चाहे पूँजीकरण की तारीख जो भी हो)-

(i) 20% पर फर्नीचर मूल्यह्रास (5 वर्ष उपयोगी जीवन)
(ii) कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 33.33% (3 वर्ष उपयोगी जीवन)
(iii) भवन-[मूल्यह्रासित मूल्य पद्धति पर- 5 प्रतिशत की दर से
(iv) विद्युत संस्थापनाएं: संस्थान के स्वामित्व वाली आस्तियाँ- मूल्यह्रासित मूल्य-पद्धति पर- 50 प्रतिशत की दरसे
(v) मोटरकार- सीधी रेखा पद्धति- 50 प्रतिशत की दर से
(vi) वस्तुओं के जुड़ाव पर मूल्यह्रास का प्रावधान पूरे वर्ष के लिए होता है, किन्तु बिक्री/निस्तारण के वर्ष के लिए मूल्यह्रास नहीं होता।

11.6. पट्टाधारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि-पर्यंत किया जाता है।

12. आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान और आकस्मिक अस्तियाँ

एएस-29 प्रावधानों के अनुसार आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियों को संस्थान चिन्हीकृत और जब पिछली घटनाओं के फलस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व बनता है, संसाधनों के व्यय की संभावना रहती है और दायित्व की राशि के विषय में विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है, तब गणना में पर्याप्त सीमा तक अनुमान करते हुए प्रावधान किए जाते हैं। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का नतोनिर्धारण होता है, नही प्रकटन। आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान नहीं किया जाता और तुलन-पत्र में उनका प्रकटन होता है तथा विवरण तुलन-पत्र की अनुसूचियों में दिए जाते हैं। आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के प्रावधानों की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है।

13. धोखाधड़ी के लिए प्रावधान

आरबीआई के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि धोखाधड़ी के सभी मामलों के संबंध में प्रावधान मानदंड: क) बैंकों को आम तौर पर संस्थान को देय पूरी राशि प्रदान करनी चाहिए या जिसके लिए संस्थान उत्तरदायी है (जमा खातों के मामले में), धोखाधड़ी का पता चलने पर तुरंत . प्रावधान की आवश्यकता की गणना करते समय, संस्थान धोखाधड़ी खाते के रूप में घोषित खातों के संबंध में बासल III पूंजी विनियम - क्रेडिट जोखिम (मानकीकृत दृष्टिकोण) के लिए पूंजी शुल्क, यदि कोई हो, के तहत पात्र वित्तीय संपार्श्विक को समायोजित कर सकते हैं; बी) हालांकि, तिमाही लाभ और हानि पर इस तरह के प्रावधान के प्रभाव को सुगम बनाने के लिए, बैंकों के पास उस तिमाही से, जिसमें धोखाधड़ी का पता चला है, चार तिमाहियों से अधिक की अवधि में प्रावधान करने का विकल्प है; सी) जहां संस्थान दो से चार तिमाहियों में धोखाधड़ी के लिए प्रदान करने का विकल्प चुनता है और इसके परिणामस्वरूप एक से अधिक वित्तीय वर्ष में पूर्ण

J SINGH & ASSOCIATES Chartered Accountants

मुंबई MUMBAI National Bank for Financing Infrastructure and Development

प्रावधान किया जा रहा है, बैंकों को 'अन्य भंडार' को डेबिट करना चाहिए [यानी, शर्तों के अनुसार बनाए गए रिजर्व के अलावा अन्य बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 17(2) के प्रावधानों को क्रेडिट द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में प्रदान नहीं की गई राशि द्वारा। हालांकि, बैंकों को आनुपातिक रूप से डेबिट को 'अन्य रिजर्व' में उलट देना चाहिए और अगले वित्तीय वर्ष की बाद की तिमाहियों में लाभ और हानि खाते को डेबिट करके प्रावधान पूरा करना चाहिए; घ) संस्थान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या, ऐसी धोखाधड़ी में शामिल राशि, वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान की मात्रा और वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षित निधियों' से डेबिट किए गए असंशोधित प्रावधान की मात्रा के संबंध में उपयुक्त प्रकटीकरण करेंगे। (संदर्भ: आरबीआई/2021-2022/104 डीओआर.सं.एसटीआर.आरईसी.55/21.04.048/2021-22 1 अक्टूबर, 2021)

14. अनुदान एवं सब्सिडी

लेखा मानक 12- अनुदान एवं सब्सिडी के अनुसार, सरकार तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त अनुदान एवं सब्सिडी का अनुदान करार की शर्तों के अनुसार किया जाता है।

15. परिचालनगत पट्टा

लेखा मानक 19- परिचालनगत पट्टा के अनुसार, पट्टा संबंधी किराए को एएस-19 के अनुसार पट्टे के अवधि में सीधी रेखा आधार पर लाभ और हानि लेखे में व्यय/आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

16. आस्तियों की क्षति

लेखा मानक 28 - आस्तियों की क्षति के अनुसार, प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को आस्तियों की रख-रखाव राशियों की समीक्षा की जाती है, ताकि आंतरिक व बाह्य कारणों के आधार पर किसी क्षति का संकेत हो तो निम्नलिखित का निर्धारण किया जा सके :

क) क्षति - हानि (यदि कोई हो) हेतु अपेक्षित प्रावधान, अथवा

ख) पूर्ववर्ती अवधि में चिह्नित क्षति(यदि कोई हो) हेतु अपेक्षित प्रत्यावर्तन-निर्धारण

17. कदी और नकदी समतुल्य :

नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य से नकदी और नकदी समतुल्यों में हाथ में रोकड़, भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष, अन्य बैंकों में शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि व म्युचुअल फंड में ऐसा निवेश शामिल होता है, जिसकी मूल परिपक्वता अवधि तीन माह या कम की हो।

18. प्रारंभिक व्यय

संस्था की स्थापना के वर्ष में प्रारंभिक व्यय और पूर्व-संचालन व्यय पूरी तरह से बट्टे खाते में डाले जाते हैं।

J SINGH & ASSOCIATES ★ Chartered Accountants ★

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक ★ National Bank for Financing Infrastructure and Development ★ मुंबई MUMBAI